कार्यपालक अभियंता(यॉ0) का कार्यालय
सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल,पूर्णियां

Email-eemech.wrdpurniya @gmail.com

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अल्पकालीन पुनर कोटेशन आमंत्रण
सूचना संख्या (NIQ)–02/2026–27

पत्रांक 467 / पूर्णियॉ दिनांक 11.06.1 /2026

सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, पूर्णियॉ के अंतर्गत प्रमंडलाधीन योजनाओं के गहन अनुश्रवण एवं नहरो/वितरणियों/अवर प्रमंडलो/प्रशाखाओं के अंतर्गत नहर गेट/बाढ नियंत्रण गेट निरीक्षण एवं उच्चाधिकारियों की बैठकों में भाग लेने इत्यादि कार्यो हेतु भाड़े पर एक या एक से अधिक वाहन (बोलेरो/सुमो/स्कॉर्पियो/नन ए0सी0) के लिए निम्नांकित शर्त्तो के अधीन ईच्छुक वाहन मालिको/फर्म से अल्पकालीन पुनर कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, जिसे मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 12.06.2026 को 03.00 बजे अपराह्न तक सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, पूर्णियॉ कार्यालय में जमा किया जायेगा और उसी दिन 3.30 बजे अपराह्न में खोला जाएगा। कोटेशनदाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खुलने के समय उपस्थित रहेंगें।

कार्य की विवरणी निम्न प्रकार है:–

क0 सं0	कार्यालय का नाम	वाहन की संख्या	अवधि	अभ्युक्ति
01	अवर प्रमंडल पदाधिकारी सिंचाई यॉत्रिक अवर प्रमंडल, बनमनखी / अररिया	01	एकरारनामा की तिथि से 31.03.2027	वाहन का किराया जिला समाहरणलय पूर्णियॉ का पत्रांक–462, दिनांक–13.09.22 के दर से देय होगा।
	अवर प्रमंडल पदाधिकारी सिंचाई यॉत्रिक अवर प्रमंडल, पूर्णियॉ /कटिहार (बाढ अवधि के लिए)	01		
	कुल	02		

Jaykant
01/06/2026

कार्यपालक अभियंता (यॉ0)
सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, पूर्णिया
M.NO- 8287142756

1/6/26

Scanned with OKEN Scanner

शर्ते निम्नवत् है:—

1. निविदादाताओं को वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में देना होगा।

क0 सं0	वाहन का प्रकार	ईंधन रहित मासिक भाड़ा

2. भाड़े पर वाहन विभागीय निदेशानुसार दिये गये अवधि तक के लिए लिया जायेगा। वाहन का व्यावसायिक निबंधन अनिवार्य है।
3. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन अच्छे हालत में होना चाहिए।
4. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी साप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फार्म द्वारा वहन किया जायेगा। चालक के वेतन का भुगतान, आवासान एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फार्म द्वारा ही किया जायेगा।
5. वाहन के भुगतान पर नियमानुसार सभी प्रकार के करों का भुगतान वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता को स्वयं करना होगा एवं अन्य शुल्क अदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। विभाग द्वारा किसी प्रकार का कर का भुगतान नही किया जायेगा।
6. वाहन का कागजात टैक्स,बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए एवं वाहन का वैध निबंधन पत्र, बीमा रोडटैक्स एव प्रदुषणप्रमाण पत्र वाहनपरिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा
7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
8. वाहन के उपयोग के विरूद्व किराया प्रतिदिन ईधन रहित देय होगा।
9. वाहन का ईधन रहित (चालकसहित) प्रतिदिन का न्यूनतम दर के कोटेशन वाहनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हे वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नही होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नही रहने पर कभी भी बिना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है।आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
10. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रति लिटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
11. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहनआपूर्तिकर्त्ता निजि अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नही करेंगे।
12. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नही जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेगे अगर वे ऐसा नही करते हैं तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दोगुणे दर से कटौती कर ली जायेगी। इच्छुक वाहन मालिक/फर्म का उक्त क्रमांक 1 से 12 तक के शर्त्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 5 से संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेगें। एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर दिनांक 16.04.2026 को 4:00 बजे अपराहन् में वैध कोटेशन वाहनदाता के बीच लौटरी के माध्यम से वाहनमालिक/फर्म का चयन किया जायेगा। स्थानीय (जिला अररिया / कटिहार/ पूर्णियॉ) कोटेशनधारी को प्राथमिकता दी जायेगी।
13. वाहन का किराया जिला जिला समाहरणलय पूर्णियॉ का पत्रांक–462,दिनांक–13.09.2022 के दर से प्रतिमाह अधिकतम एवं आपके द्वारा उद्धृत दर में से न्यूनतम दर स्वीकार्य होगा तथा भुगतान प्रत्येक माह के बाद विपत्र प्रस्तुत करने पर उपलब्ध आवंटन के विरूद्व किया जायेगा। भाडा रूपये प्रतिमाह की दर से Fix उद्धृत करना होगा। सशर्त उद्धृत भाडा मान्य नही होगा। शपथ पत्र एंव वांछित कागजात नही रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।

Jaykant
07/06/2026

(ई0 जयकान्त कुमार)
कार्यपालक अभियंता(यॉ0)
सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल,पूर्णियॉ

11/6/26

Scanned with OKEN Scanner